समाचार–प्रकाशनार्थ :–

रतलाम नगर शीघ्र होगा झुग्गी मुक्त प्रत्येक झुग्गी वासी को मिलेगा फ्लेट –श्री काश्यप
रतलाम पुनः बनेगा मालवा का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र
फीता काटकर ''रतलाम कल आज और कल'' प्रदर्शनी का किया शुभारंभ
नगर निगम व रतलाम स्थापना समिति ने धूमधाम से मनाया रतलाम स्थापना दिवस

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर के प्रत्येक झुग्गीवासी व आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लेट दिये जाने के लिये हम कटिबद्ध है तथा इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। झुग्गीवासियों को फ्लेट मिलने के बाद रतलाम नगर झुग्गी मुक्त होगा।

उक्त उद्‌गार विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने नगर निगम रतलाम एवं रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में मनाये जा रहे रतलाम स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के अवसर पर व्यक्त किये।

उन्होने कहा कि नगर का चंहुमुखी विकास तभी होगा जब शहर के प्रत्येक झुग्गीवासी, गरीब व आवासहीन परिवारों का अपना स्वंय का पक्का मकान हो। व्यक्ति के पास स्वंय का मकान होने पर स्वंयमेव ही उस परिवार का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जब विकास होता है तो नगर का भी विकास होता है।

मा0 श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम नगर को पुनः मालवा का प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिये तेजी कार्य किया जा रहा है जिससे नगर में उद्योग व व्यापार की अवधारणाऐं बन रही है। नगर में उद्योग लगने से नगर के युवाओं को अपने ही नगर में ही रोजगार उपलब्ध होगा व व्यापार बढ़ेगा।

उन्होने कहा कि रतलाम राज्य की स्थापना बसंत पंचमी पर आज ही के दिन हुई थी हम सभी को मिलकर रतलाम के गौरव के लिये रतलाम नगर की वर्षगांठ धूमधाम से मनाना चाहिये क्योंकि वर्षगांठ गौरव का विषय होता है। श्री काश्यप ने कहा कि यह बड़ी ही खुशी की बात है कि रतलाम स्थापना महोत्सव समिति व नगर निगम मिलकर रतलाम का स्थापना दिवस मना रही है, शासन, प्रशासन व जनसेवी संस्थाऐं मिलकर जो भी आयोजन करती है वह आयोजन सफल होता है रतलाम स्थापना दिवस उसी का सक्षम उदाहरण है।

श्री काश्यप ने कहा कि सीवरेज एक कड़वी गोली है पर हमें इसे लेना होगी क्योंकि आज हम थोड़ी सी तकलीफ सह लेंगे तो आने वाले वर्षो में गंदे पानी की समस्या से मुक्त होने के साथ ही बीमारी एवं मच्छरों से भी मुक्त होंगे।

रतलाम स्थापना महोत्वस समिति के संयोजक श्री मुन्नालाल शर्मा ने स्वागत उद्‌बोधन देते हुए कहा कि जिस सोच के तहत रतलाम नगर बसाया था आज उसी सोच के तहत रतलाम दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है साथ ही नगर साफ–स्वच्छ–सुन्दर भी बन रहा है। उन्होने इस अवसर पर नगर में चल रही विकास की योजनाओं से विस्तृत रूप से अवगत कराया।

उद्‌बोधन के पूर्व माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की तत्पश्चात नगर निगम तिराहे स्थित रतलाम राज्य के जनक रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यर्पण किया। उद्‌बोधन पश्चात नगर निगम कार्यालय परिसर में '' रतलाम कल आज और कल'' प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया।

प्रारंभ में मुख्य अतिथि माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप का स्वागत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, रतलाम स्थापना महोत्सव समिति अध्यक्ष श्री प्रवीण सोनी, संयोजक श्री मुन्नालाल शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री कन्हैयालाल मौर्य, समाजसेवी श्री अनोखीलाल कटारिया, पूर्व महापौर परिषद सदस्य एवं पार्षद सर्वश्री प्रेम उपाध्याय, मंगल लोढ़ा, भगतसिंह भदौरिया, प्रहलाद पटेल, मोहनलाल धभाई, अशोक यादव, श्रीमती ललीता पवांर, श्रीमती अनिता कटारा, मंडल अध्यक्ष श्री आदित्य डागा, श्री निलेश गांधी, श्री मयूर पुरोहित, पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्री

जयवंत कोठारी के अलावा सर्वश्री गोपाल शर्मा, राजेश कटारिया, राजेश माहेश्वरी, रजनीश गोयल, दिनेश सोलंकी, सुनील माली, लक्ष्मीनारायण गेहलोत, संजीव कोठारी, मुरलीधर गुर्जर, विक्रम गुर्जर, हितेश कामरेड, जोन्टी गुर्जर, राकेश परमार, नन्दकिशोर पवांर, सीमा अग्रवाल, बद्रीलाल परिहार, महेन्द्र मूणत, ललीत दख, राकेश टांक, दशरथ पाटीदार, अनिल कटारिया, राकेश नाहर, सुरेशचन्द्र चावड़ा, महेन्द्रसिंह राठौर, राजेन्द्रसिंह चौहान, राजेन्द्रसिंह पवांर, विशाल चावड़ा, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पुष्पहारों से किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री गोपाल शर्मा ने किया व आभार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने माना।

निगम कर्मचारी अनिवार्य रूप से लगवायें कोरोना का टीका-श्री झारिया
चार स्थानों पर लगेंगे कोरोना के टीके

रतलाम 16 फरवरी । नगर निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाये इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 प्रभाकर ननावरे के साथ निगम सभागृह में विभाग प्रमुख, झोन प्रभारी, दरोगाओं की बैठक लेकर कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों को सरकार फ्रंट लाईन वर्करो की श्रेणी में लिया है इसलिये सभी अनिवार्य रूप से टीका लगवाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि मैने भी कोरोना का टीका लगवाया है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है इसलिये सभी कर्मचारी अपनी, अपने परिवार व अन्य की सुरक्षा हेतु कोरोना का टीका लगवाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु 17 फरवरी बुधवार को डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाष नगर कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08:30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

आयोजित बैठक में डॉ0 पूर्वी, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, श्री निशीकान्त शुक्ला, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, उद्यान प्रभारी श्री अरविन्द दशोत्तर, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री सिद्धार्थ सोनी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, दरोगा व निगम कर्मचारी उपस्थित थे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना
नीमचौक क्षेत्र में 13 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 16 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जी, फल-फ्रुट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले

में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नीमचौक क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुकेश कुमार, श्री स्टील पर 500–500, राजेन्द्र पांचाल पर 300, धापुबाई, कौशल्याबाई, दुर्गा, दिनेश, गोवर्धन, संदीप, पवन, हेमराज, ओमप्रकाश व चंचल पर 50–50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

दीनदयाल नगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 27,33,144/– संपत्तिकर व 6,19,025/– जलकर जमा कराया

रतलाम 16 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर 6,71,025/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 27,33,144/– संपत्तिकर व 6,90,025/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
661 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 15 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 661 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 फरवरी को सैलाना रोड क्षेत्र से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने

वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

117 दिनों में 144 वॉल्व व 797 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 16 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 16 फरवरी तक 144 वॉल्व व 797 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

"रतलाम जलशक्ति अभियान" व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 16 फरवरी बुधवार को करमदी रोड सांवरिया मंदिर के सामने, अमृत सागर कालोनी, टैंकर रोड, कस्तुरबा नगर जैन मंदिर के सामने व गली नम्बर 5, प्रताप नगर, उंकाला रोड व हाट की चौकी मरीमाता चौराहे पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही गोपाल गौशाला कालोनी उद्यान के पास वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 16 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत

स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 16 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 16.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.